न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

इन्टीग्रल अरबन कॉ. बैंक लि. बनाम रवि खण्डेलवाल व अन्य

प्रकरण संख्या 223/2017 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
31.08.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था की ओर से काफी समय से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था की ओर से 14 सरफेशी एक्ट के प्रार्थना पत्र के समर्थन में संपत्ति दस्तावेजों में कृषि भूमि की जमाबंदी पेश की गई। भूमि कृषि से अकृषि संपरिवर्तन संबंधित कोई आदेश पेश नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 31 (i) के तहत कृषि भूमि पर सरफेशी एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते है। इसलिए प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत सरफेशी एक्ट की धारा 14 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था भूमि संपरिवर्तित दस्तावेज के साथ धारा 14 का प्रार्थना पत्र पुनः प्रस्तुत किये जाने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	